प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या- 19 /2025
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
दिनांकःलखनऊःमई 27,2025

विषयः **मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में समय-समय पर उ0प्र0 शासन/पुलिस मुख्यालय के स्तर से पार्श्वांकित कालम में अंकित शासनादेश एवं निर्देश/परिपत्र निर्गत किये गये हैं। यह संज्ञान में आया है कि आपके कमिश्नरेट/जनपदों में उपरोक्त शासनादेश/परिपत्र/निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। संसदीय अनुश्रवण समिति की सम्पन्न हुई बैठक में मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों व अन्य जन प्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन हेतु प्रचलित व्यवस्था का सही ढंग से अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये आपत्ति प्रकट की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेशों एवं निर्देशों का प्रत्येक थाना, सर्किल, जनपद, परिक्षेत्र, जोन, कमिश्नरेट स्तर पर कड़ाई से अनुपालन करते हुये गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन अपेक्षित है। स्थानीय स्तर पर इन महानुभावों के प्रति अनुमन्य प्रोटोकाल एवं शिष्टाचार का समुचित प्रदर्शन न होने पर मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों व अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उ0प्र0 शासन में एवं इस मुख्यालय में अधिकारियों से शिकायतें की जाती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि पुलिस एक अनुशासित बल है। मा0 संसद सदस्य एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों व अन्य जन प्रतिनिधियों को शिष्टाचार एवं सम्मान किया जाना पुलिस बल के कर्तव्य एवं दायित्व में निहित है, फिर भी पुलिस बल द्वारा उनका सम्मान न किया जाना अत्यन्त ही आपत्तिजनक एवं आपके स्तर से स्वयं विचारणीय है।

1-शा0सं0-02/2022/539/90-सं0शि0प0का0/2022-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-14.06.2022,
2-सं0-डीजी-आठ-94(शासन निर्देश)2022, दिनांक-17.06.2022,
3-डीजी-परिपत्र संख्या-02/2023, दिनांक-27.01.2023,
4-शा0सं0-196पी/छः-पु-3-2023-यू0ओ0-84/2022, दिनांक-10.02.2023,
5-शा0सं0-8/2023/1370/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-03.10.2023,
6-शा0सं0-1442पी/छः-पु-3-2023, दिनांक-30.10.2023,
7-सं0-डीजी-आठ-94(शासन निर्देश)2023/8221, दिनांक-01.11.2023,

3- इस सम्बन्ध में आप सभी से निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः-

1. समस्त अधिकारीगण मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा नोट कराये गये मोबाइल नम्बर को अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में संरक्षित (Save) करेंगे तथा उनकी कॉल आने पर उसे ग्रहण (Receive) करेंगे। बैठक में होने/अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता से जनप्रतिनिधि को संदेश (Message) के साथ ही यथाशीघ्र कॉल बैक करेंगे। मा0 सदस्यों के फोन कॉल पर प्राप्त प्रकरणों को निस्तारित करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अवगत करायेंगे। जनपदों के क्षेत्र (Field) स्तर पर कार्यरत अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करायी जाये। उक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में नियंत्रक प्राधिकारी के विरूद्ध नियमसंगत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
2. जनहित से जुड़े कार्यों के सम्बन्ध में मा0 सांसद/राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्य के आगमन एवं विदाई के समय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी सीट से खड़े होकर उनका यथोचित स्वागत/सम्मान किया जाये तथा उनसे सम्मानपूर्वक जल ग्रहण हेतु आग्रह किया जाये। मा0सदस्यों

से वार्ता करते समय अधिकारी यदि उनके अनुरोध या सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हों तो अधिकारी उनके अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के कारणों से उन्हें विनम्रतापूर्वक अवगत करायेंगे।

3. मा0 जनप्रतिनिधि, सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिंसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते है, अतः उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाये। सरकारी सेवक का कोई भी अनुचित व्यवहार, जानबूझकर की गयी गलती को दुराचरण समझा/ माना जायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त अधिकारी/कर्मचारी को संगत आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
4. यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्दी पर नाम पट्टिका नहीं धारण की जाती है। यह प्रचलित नियमों के अनुकूल नहीं है, साथ ही ऐसी प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। सभी थाना, सर्किल, जनपद, परिक्षेत्र, जोन एवं पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित वर्दी के साथ नाम पट्टिका अवश्य धारण की जाये।
5. जनपदों में प्रोटोकाल से सम्बन्धित मामलों की जनपदीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी प्रत्येक 02 माह पर एक बार आहूत की जाये तथा उक्त बैठकों में ऐसे मामलों को निस्तारित कराया जाये एवं इसकी अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित की जाये। प्रोटोकाल उल्लंघन सम्बन्धी प्रकरणों का पाक्षिक/मासिक अनुश्रवण करके उल्लंघन संबंधी मामलो में दोषी अधिकारी/ कर्मचारी को दण्डित किया जाये।
6. मा0 सासंदो एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में एक जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखा जाये, जिसमें प्राप्त पत्रों का विवरण अंकित करके जनप्रतिनिधियों को पावती एवं प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से तद्नुसार अवगत कराया जाये।
7. मा0 विधान परिषद/विधान सभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/सभापति तथा सदस्यों/ जनप्रतिनिधियों आदि के साथ पुलिस द्वारा ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जाये, जिससे विशेषाधिकार हनन की स्थिति उत्पन्न हो।

4- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः सम्यक अनुपालन करते हुये अपने अधीनस्थों को भी तद्नुसार निर्देशित कर प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, ताकि मा0 जन प्रतिनिधियों के शिष्टाचार एवं उनके प्रोटोकाल के सम्बन्ध में कदापि असहज स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

भवदीय

27.5.25

(प्रशान्त कुमार)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषितः-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपराध/मानवाधिकार, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ/अभिसूचना/रेलवेज/यूपी-112, उ0प्र0।
3- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4- पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0/लोक शिकायत, उ0प्र0।
5- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।